

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 20/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/19) श्री किशोर चौकसी व अन्य बनाम हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेक्टर) जरिये प्रबन्धक, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2024	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पड़्या - वकील अपीलार्थी</li> <li>2. श्री सुशील कोठारी - वकील प्रत्यर्थी-1</li> <li>3. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-2</li> <li>4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-3</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>अनवान</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री किशोर पुत्र श्री रविन्द्र चौकसी, निवासी रानी रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।</li> <li>2. श्री शैलेश पुत्र श्री रविन्द्र चौकसी, निवासी रानी रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।</li> <li>3. श्रीमती कमला पत्नि श्री रविन्द्र चौकसी, निवासी रानी रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।</li> <li>4. श्रीमती नम्रता पत्नि श्री किशोर चौकसी, निवासी रानी रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।</li> <li>5. श्रीमती नन्दिता पत्नि श्री शैलेश चौकसी, निवासी रानी रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>अपीलार्थी</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेक्टर) जरिये प्रबन्धक, उदयपुर।</li> <li>2. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।</li> <li>3. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>प्रत्यर्थी</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>आदेश बाबत प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी/प्रारम्भिक आपत्ति निस्तारण</u></b></p> <p style="text-align: right;">दिनांक 01.08.2024</p> <p>उक्त प्रकरण में अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा, बप्रकरण संख्या 82/2011 निर्णय दिनांक 26.11.2014 (अनवान हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या-1 श्री हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेक्टर), उदयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश किया और निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उदयपुर शहर, गिर्वा में उसके स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नम्बर 24 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, आ.न. 25 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आ.न. 26 रकबा 12.1500 हैक्टेयर, आ.न. 27 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, कुत कित्ता 4 रकबा 13.9400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात साबिक आ.न. 2575/1 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, आ.न. 2088, 2095, 2221 रकबा 19 बीघा, आ.न. 2119, 2120, 2200, 2201, 2202 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, आ.न. 2214, 2215, 2216 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा एवं आ.न. 2220 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा कुल कित्ता 13 रकबा 71 बीघा से बने है जो जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 में रेस्पोंडेंट संख्या-1 के नाम ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेंटर के नाम दर्ज थी। सेंटलमेंट के समय संवत् 2042 में हाल आराजी नम्बर 24 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, आ.न. 25 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आ.न. 26 रकबा 12.1500</li> </ul>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 20/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/19) <b>श्री किशोर चौकसी व अन्य बनाम हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेक्टर) जरिये प्रबन्धक, उदयपुर व अन्य</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>हैक्टेयर, आ.न. 27 रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से सही जांच न कर इन्द्राज नहीं करने से बिलानाम सरकार राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई जबकि सेटलमेंट को पुराना इन्द्राज ही दोहराना होता है जबकि पिछले 60 वर्षों से रेस्पोंडेंट संख्या-1 के कब्जे में होकर ट्रेनिंग सेन्टर चल रहा है। रेस्पोंडेंट संख्या-1 द्वारा जमाबन्दी संवत् 2042 में सेटलमेंट के दौरान हुई लिपिकिय भूल को कानूनन सुधारा जाने की आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र धारा-136 का प्रस्तुत कर उपरोक्त आराजीयात को पुनः उसके नाम दर्ज कराये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अनुरोध किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 26.11.2014 से रेस्पोंडेंट सं.-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आ.न. 24 से 27 ओ.टी.सी. के नाम पूर्ववत् संवत् 2031-34 में दर्ज अनुसार पुनः दर्ज करने का आदेश दिया।</li> </ul> <p>उप जिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील मयाद बाधित प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया। यह अपील उक्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय आरक्षित रखते हुए दिनांक 11.07.2023 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी/प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुने जाने का अनुरोध किया, जिस पर उपस्थित अधिवक्तागण की उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई।</p> <p><b>अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी/प्रारम्भिक आपत्ति में कथन प्रस्तुत किये कि</b> अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका अनवान सिद्धार्थ रियल एस्टेट प्रा.लि. बनाम श्री हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान व अन्य होकर प्रकरण संख्या 173/2019 हुए। उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 30.01.2023 को पारित होकर अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरुद्ध सिद्धार्थ रियल एस्टेट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर समक्ष अपील पेश की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। जब किसी उच्चतर न्यायालय में कार्यवाही/अपील/याचिका लम्बित हो तो अधीनस्थ न्यायालय को उसी समानान्तर सुनवाई करना प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं होगा। अपीलार्थी द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2023 को निर्णय पारित करने के पश्चात प्रस्तुत की गई। उक्त अपील सिद्धार्थ रियल एस्टेट के पक्ष में नहीं होने से यह अपील पेश की गई। अपीलार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं तो अपील इसी स्तर पर निरस्त करने का पर्याप्त कारण है।</p> <p>अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 के उपरोक्त कथनों के खण्डन में <b>अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया</b> कि उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2014 चार आराजी संख्या 24, 25, 26 व 27 के संबंध में पारित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सिद्धार्थ रियल एस्टेट बनाम एचसीएम रिपा के प्रकरण में पारित जिस निर्णय दिनांक 30.01.2023 का हवाला दिया जा रहा है, उस</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 20/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/19) <b>श्री किशोर चौकसी व अन्य बनाम हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेक्टर) जरिये प्रबन्धक, उदयपुर व अन्य</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण में सिद्धार्थ रियल एस्टेट द्वारा केवल आराजी संख्या 24 के संबंध में दाद चाही गई थी, उसके द्वारा अन्य आराजीयात 25, 26, 27 पर कोई दाद नहीं चाही गई जो निर्णय दिनांक 30.01.2023 में किये अंकन से स्पष्ट है। उक्त प्रकरण गुणावगुण पर खारिज नहीं कर केवल तकनिकी आधार धारा-96 जादी के आवेदन को निरस्त कर खारिज किया गया। हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा केवल उसकी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 27 के संबंध में प्रस्तुत की गई है जिसका पूर्व में पारित किसी निर्णय से संबंध नहीं है। उक्त निर्णय में वर्णित आराजी संख्या 24 है और वर्तमान अपील में विवादित आराजी संख्या 27 है। इस आराजी संख्या 27 के संबंध में पूर्व में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, ऐसे में उक्त प्रकरण पर रेसज्युडिकेटा और धारा 10 के कोई प्रावधान लागु नहीं होते है। न ही उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकरण में अपीलार्थी को पक्षकार बनाया गया है। माननीय राजस्व मण्डल समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी संख्या 24 प्रश्नगत है, न की आराजी संख्या 27। ऐसे में हस्तगत अपील माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरण से किसी प्रकार से बाधित नहीं है। इस अपील में अपीलार्थी द्वारा केवल आराजी संख्या 27 के संबंध में दाद चाही गई है, उसका अन्य आराजी संख्या 24, 25, 26 से कोई संबंध नहीं है। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने भी माना है कि उक्त आराजी संख्या 27 अपीलार्थी के खातेदारी में है और उसका कब्जा है, ऐसे में तथ्यों से विपरित प्रस्तुत कथन स्वीकार्य योग्य नहीं है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष तथ्यों का छिपाया जा रहा है, वास्तविक स्थिति को छिपाया जाकर केवल प्रकरण को लम्बा करने की मशा से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे, जिसे निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे।</p> <p><b>हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-151 जा.दी. पर विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</b></p> <p>पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2014 के विरुद्ध एक प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट के मेसर्स सिद्धार्थ रियल एस्टेट प्रा.लि. व अन्य द्वारा पेश किया गया था, जिसके अपील संख्या 173/2019 हुए। उक्त प्रकरण में न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.2023 से उक्त अपील को खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा के निर्णय दिनांक 26.11.2024 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय दिनांक 30.01.2023 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर समक्ष अपील पेश किया जाना अधिवक्तागण द्वारा स्वीकार किया गया और उक्त अपील को विचाराधीन बताया गया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा दृढ़ता से आपत्ति पेश की गई कि जब किसी उच्चतर न्यायालय में कार्यवाही/अपील/याचिका लम्बित हो तो अधीनस्थ न्यायालय को उसी समानान्तर सुनवाई करना प्राकृतिक न्याय के अनुरूप नहीं होगा। उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन एवं परिक्षण किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 2020 पेज 2601 में शाह फैसल एव अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2020 में व्याख्या की है कि</p> <p>Decisions rendered by a coordinate bench is binding on</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 20/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/19) श्री किशोर चौकसी व अन्य बनाम हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेक्टर) जरिये प्रबन्धक, उदयपुर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>subsequent Benches of equal or lesser strength.</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 3 आरएलडब्ल्यू (राज0) 492 में अजीत बाबु एव अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 25.07.1997 में व्याख्या की है कि</p> <p><b>One the basic principles of administration of justice is, that the cases should be decided alike. Thus, the doctrine of precedent is applicable to the Central Administrative Tribunal also.</b> Whenever an application under section 19 of the Act is filed and the question involved in the said application stands concluded by some earlier decision of the Tribunal, <b>the Tribunal necessarily has to take into account the judgement rendered in earlier case, as to precedent and decide the applicable accordingly. The Tribunal may either with the view taken in the earlier judgement or it may dissents.</b> If it dissents, then the matter can be referred to a larger bench/full bench and place the matter before the Chairman for constituting a larger bench so that there may be no conflict upon the two Benches.</p> <p>उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत अनुसार न्याय प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक यह है कि सभी मामलों का फैसला एक जैसा होना चाहिए। इस प्रकार, मिसाल का सिद्धांत सभी प्रशासनिक न्यायालय पर भी लागू होता है। जब भी किसी भी अधिनियम तहत कोई अपील/आवेदन अन्यथा दायर किया जाता है और उक्त अपील/आवेदन अन्यथा में शामिल प्रश्न उसी न्यायालय के किसी पहले के फैसले से समाप्त हो जाता है, तो उसी न्यायालय को अनिवार्य रूप से पहले के मामले में दिए गए फैसले को मिसाल के तौर पर ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार लागू होने वाले मामलों पर फैसला करना चाहिए। यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि राजस्व नियमावली में संभागीय आयुक्त की परिभाषा में अति.संभागीय आयुक्त को शामिल किया गया। जैसा की उपरोक्त पेटा में यह वर्णित किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2014 के संबंध में माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 173/2019 निर्णय दिनांक 30.01.2023 से बहाल रखा गया है, तो उक्त विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में उसी अपीलाधीन आदेश की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पूर्व में पारित निर्णय 30.01.2023 के आलोक में औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि संभागीय आयुक्त, उदयपुर का निर्णय इस समान न्यायालय पर बाईडिंग है। <b>परिणामतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है और अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।</b> तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p>(सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	

फर्द अहकाम  
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर